भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 264

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भागीदारी के लिए प्रोत्साहन</u>

*264. श्री शिवमंगल सिंह तोमरः

श्री पी. पी. चौधरीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के तहत मार्च, 2027 तक एक करोड़ परिवारों को सम्मिलित किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने और उसकी प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या विशिष्ट कार्यनीतियाँ लागू की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का झारखंड सहित देश में इस योजना के तहत और अधिक घरों/परिवारों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करने के लिए राजसहायता संरचना में समायोजन करने या अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्बन उत्सर्जन में कमी सहित उक्त योजना के परिणामस्वरूप अब तक प्राप्त पर्यावरणीय लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

'प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भागीदारी के लिए प्रोत्साहन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 264 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों में रूफ़टॉप सौर ऊर्जा स्थापित करना है और इसकी शुरुआत फरवरी, 2024 में की गई थी। योजना के शुरू होने के तुरंत बाद, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और योजना के दिशानिर्देश जून, 2024 में जारी किए जा सके। इस दौरान, योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और अन्य रणनीतियों का विकास किया गया। इसके कारण योजना का कार्यान्वयन तेजी से हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.03.2025 तक अर्थात् एक वर्ष की अवधि में 10 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ हुआ है, जबकि पीएमएसजी: एमबीवाई के शुभारंभ से पूर्व, पिछले 10 वर्षों के दौरान मंत्रालय की पिछली योजनाओं के तहत आवासीय क्षेत्र में केवल 7.94 लाख रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई थी। पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर की स्थापना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने और प्रगति में तेजी लाने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान में 6.75 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल-फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पर्याप्त और योग्य वेंडर उपलब्ध हो सकें। दिनांक 13.02.2025 की स्थिति के अनुसार, 12383 वेंडर पंजीकृत हैं।
- कुशल मैन-पावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिनांक 24.02.2025 तक 58,488 प्रशिक्षित किए गए।
- योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना, जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाना, टीवी विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों के माध्यम से जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम।
- राज्य मंत्रियों और सचिवों के स्तर पर राज्यों/डिस्कॉम सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी।
- क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करना। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के स्तर पर कोलकाता, मुंबई और जयपुर में पहले ही बैठकें आयोजित हुई हैं।
- मंत्रालय में वेंडरों के साथ तथा सभी राज्यों में आरईसी द्वारा मासिक बैठक आयोजित की जा रही हैं।

- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

(ख) और (ग): झारखंड राज्य सहित पूरे देश में अधिक घरों/परिवारों को प्रोत्साहित करने हेतु पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उच्च सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। रूफटॉप सौर की स्थापना हेतु पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत घरों के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीः एमबीवाई) के अंतर्गत प्रथम 2 किलोवाट पीक के लिए सीएफए 30,000 रुपये प्रति किलोवाट पीक और अतिरिक्त 1 किलोवाट पीक के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट पीक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध है। व्यक्तिगत घरों के लिए सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट पीक रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता तक है।
- समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट पीक है, जिसमें रूफटॉप सौर संयंत्र की क्षमता सीमा 500 किलोवाट पीक है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के मामले में सीएफए 10 प्रतिशत अधिक है।

इसके अतिरिक्त, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दिनांक 28.12.2024 को पीएसएमएसजी: एमबीवाई के रेस्को मॉडल/यूटिलिटी आधारित एकत्रीकरण (यूएलए) मॉडल के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र घटक और केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) घटक के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस घटक का उद्देश्य डिस्कॉम्स/राज्य सरकारों/राज्य द्वारा नामित संस्थाओं, मुख्य रूप से निम्न-आय वाले परिवारों/घरों को रेस्को और यूएलए मॉडल के तहत रूफ़टॉप सौर के विकास को अपनाने में सक्षम बनाना है।

इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों से 2 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए 10 वर्ष की अवधि के साथ रेपो-रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात वर्तमान में 6.75 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त ऋण भी उपलब्ध है। ऋण सुविधा का लाभ pmsuryaghar.gov.in के माध्यम से आसानी से लिया जा सकता है।

(घ) दिनांक 10.3.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत 3024 मेगावाट की कुल क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना से कुल 10.07 लाख परिवार लाभान्वित हुए। इस क्षमता से वार्षिक रूप से 2.6 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड समतुल्य (CO_2eq) उत्सर्जन की बचत हुई है, जो 10 करोड़ पेड़ लगाने के समान है।

*****